

Order of Proceeding with Signature of Presiding Officer
 Case No. 600296/11
 Signature of Parties of Pleaders where Necessary

18-10-16 आज आरक्षी केन्द्र 38-3-88 के उपनिरीक्षक / सहायक उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक के उपनिरीक्षक / सहायक के 03 द्वारा शान्त पगारी की ओर अपराध को 1-04-16 अंतर्गत धारा 34 के अधीन दण्डनीय ग्राहक संघ में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री. शर्मा उप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण

निवासी / निवासीगण
 38-3-88 जिला पण्डित राज्य से अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री. द्वारा मेगोरेण्डम / तकालतनामा प्रस्तुत किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार ग्राहक संघ / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 190--(1) द0प्र0सं0 के अधीन संज्ञान विषय आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 600296/11 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के धारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के प्रदेनाय प्रति निःशुल्क दिलाये जावे।

वैकिक अपराध जमानत प्रकट के अधीन / अभियुक्तगण को और से 7000 / -- (सप्त हजार) न इतनी ही शर्तों पर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जावे।

21/10/16

Supposed

चूँकि मागला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ
गया। अभियुक्त / अभियुक्तगण विरुद्ध
भा० द० सं० / ३५ अभियुक्त
किंसा विनयित कर

चूँकि मांगला सा... अभियुक्त / अभियुक्त
गया। भा0द0सं0 / कर अभियुक्त
34 स्व... की विशिष्टिया विरचित कर अपराध
धारा समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध
आधिनियम के सुनाये और अभिवाक् यथा संभव उसके
को पढ़कर सुनाये किया। अतः अभिवाक्
करना स्वेच्छया स्वीकार किया गया।
शब्दों में लेखबद्ध किया गया। स्वेच्छया

करना स्वेच्छया स्वाकार किया गया।
शब्दों में लेखबद्ध किया गया।
अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से दत्तित किया गया।
कराकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया।
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रूपये अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं व्यतिक्रम के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में साधारण दिवस का कारावास भुगताया जावे।

कारावास भुगताया जावे ।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पाया जाये।

जप्तसुदा संपत्ति..... रूपये राजसात
 किये जायें। रांपत्ति..... 18.49 मूल्यहीन होने से नष्ट कर
 व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी
 को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया
 जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के
 आदेशों का पालन हो।

आदेशों का पालन हो।
प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित
अथधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta
Judicial magistrate first class,

पुनश्च: गोहाट डिस्ट्रिक्ट (M.P.) राशि बुक
निर्णयानुसार अभियुक्त / अभियुक्तागण के अर्थादण्ड की पावती दी गई।
क0 1520/- रुपये अदा की जिसकी क0 5624 रसीद : क0

अभियुक्त / अभियुक्तगण को सजा भंगवाई गई ।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संक्षिप्त हो।

A. K. Ghila
Judicial magistrate first class,
Girgaod Dist. Bhind (M.P.)